न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपील संख्याः 17/21 निर्णय दिनांकः–04-12-2024
(जीसीएमएस संख्या 2021/96)

1. शंकरलाल पुत्र मानाराम जाति जाट निवासी ग्राम देसलसर हाल निवासी सीआरआर स्कूल के पास, रिको रोड़ नम्बर 7, गंगाशहर बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. भंवरलाल पुत्र मानाराम जाति जाट निवासी ग्राम देसलसर भाटियान हाल निवासी सीआरआर स्कूल के पास, रिको रोड़ नम्बर 7, गंगाशहर बीकानेर।
2. एसबीआई शाखा भामटसर जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा भामटसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, नोखा।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, नोखा
दिनांक 01–04–2021

उपस्थितः–
1. श्री प्रहलाद जाखड़, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1
3. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, नोखा के आदेश दिनांक 01–04–2021 जिसके द्वारा अदालत मातहत द्वारा मौके की स्थिति के विपरीत जाकर विधि विरूद्व तरीके से रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि ग्राम देसलसर भाटियान के खेत खसरा नम्बर 156 तादादी 0.0200 हेक्टर, खसरा नम्बर 599/157 तादादी 3.1600 हेक्टर व खसरा नम्बर 491/159 तादादी 0.3400 हेक्टर भूमि व इसी प्रकार खसरा नम्बर 597/6 तादादी 0.0450 हेक्टर भूमि स्थिति है। उक्त भूमि में से आवगमन हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251–ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अपनी जोत ग्राम देसलसर भाटियान के खेत खसरा नम्बर 6 मिन तादादी 0.045 हेक्टर, खसरा नम्बर 157 मिन तादादी 3.29 हेक्टर व खसरा नम्बर 490/159 तादादी 0.22 हेक्टर इस प्रकार कुल तादादी 3.56 हेक्टर भूमि पर मांग किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अदालत मातहत द्वारा मौके की स्थिति के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित करते हुए अपीलांट् को उसके खेत के उपयोग व उपभोग से वंचित किया गया है।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील रिकार्ड एवं तथ्यों के विपरीत जाते हुए अपीलांट के विरूद्व पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि वह अपीलार्थी की भूमि में से अपने खेत में आवागमन हेतु अन्य को रास्ता उपलब्ध नहीं है। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 192 व खसरा नम्बर 442/196 की दक्षिणी सींव से रास्ता उपलब्ध है। जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अर्सेदराज से आवागमन करता आ रहा है उक्त रास्ता मौके पर काफी समय से चल रहा है। वास्तव में ना तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कभी अपीलार्थी के खेत में से आता जाता रहा है ना ही मौके पर ऐसा कोई मार्ग आवागमन हेतु वर्तमान में उपलब्ध है। उक्त तथ्यों को साबित करने का अवसर प्रदान किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 ए के तहत वो ही खातेदार रास्ते की मांग कर सकता है जिसके खेत में जाने के लिए कोई रास्ता पूर्व में उपलब्ध नहीं है। चूंकि प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवागमन हेतु पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध है ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रकरण में धारा 251ए के प्रावधान लागू नहीं होते है। ऐसी स्थिति में जब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को पूर्व से ही आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध है तो धारा 251ए के तहत नये रास्ते की मांग नहीं की जा सकती। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

कि कोई भी काश्तकार अपनी सुविधा के लिये नये रास्ते की मांग नहीं कर सकता। नये रास्ते की मांग तभी की जा सकती है, जब रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता हो। प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवागमन हेतु पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध होने कारण धारा 251 ए के प्रावधान प्रस्तुत मामलें पर लागू नहीं होते है। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना आदेश जैर अपील पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।

चूंकि रेस्पोडेन्ट के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है व वास्तव में इस रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। अब अपीलांट को मात्र तंग व परेशान करने की नियत से कानून का दुरूपयोग किया जा रहा है। रेस्पोडेन्ट द्वारा केवल मात्र सुविधा के लिए अपीलांट के खेत में से रास्ता स्वीकृत कराया गया है। ऐसी स्थिति में जब पूर्व में रास्ता कायम है तो नया रास्ता कायम करने के आदेश 251ए आरटीए के तहत पारित नहीं किये जा सकते। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के पैरा II में यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि जब अन्य खातेदार के खेत में से होकर रास्ता चाहा गया है तो अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने की दशा में नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता। वास्तव में मौके पर नये रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। अब मात्र अपीलांट को तंग व परेशान करने की नियत से कानून का दुरूपयोग करते हुए आदेश जैर अपील दुराभि संधि से व रास्ते के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अपनी जोत में आवागमन की मांग किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार मौके की रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त यह पाये जाने पर कि रेस्पोडेन्ट् को उसकी खातेदारी भूमि पर आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की दशा में अप्रार्थी/अपीलांट की खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 599/157 में से रास्ता स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय द्वारा रास्ते के आज्ञापक प्रावधानों की पालना करते हुए व मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त व यह तथ्य साबित होने पर कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपने खेत में आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की दशा में ही उक्त रास्ता स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार मौके की स्थिति, रास्ते की आवश्यकता (absolute necessity & convenient) के आधार पर स्वीकृत किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में रेस्पोडेन्ट द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट की खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 599/157 में से लम्बाई 225 मीटर वा चौड़ाई 4 मीटर इस प्रकार 900 मीटर गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया गया है। जिससे व्यथित होकर उक्त अपील अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में अपीलांट का कथन है कि अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपने खेत में आवागमन हेतु पूर्व में रास्ता उपलब्ध होते हुए भी रास्ते के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। इस संबंध में हमने अपीलाधीन आदेश व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व वादगत् भूमि के बाबत् प्रस्तुत नजरी नक्शे का अवलोकन किया।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, रास्ते के मामलों में सर्वप्रथम यह उल्लेखनीय है कि धारा 251 ए के तहत रास्ते के प्रावधानों में मौका रिपोर्ट संबंधित तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा किया तैयार किया जाना अपरिहार्य है। प्रकरण में पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन के अनुसार वादग्रस्त भूमि के बाबत् संबंधित भू–अभिलेख निरीक्षक मय पटवारी द्वारा दिनांक

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

05–11–2019 को बिन्दुवार पालना रिपोर्ट प्रेषित करते हुए अभिलिखित किया गया है कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 600/157 व खेत खसरा नम्बर 490/159 में जाने का कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में खेत खसरा नम्बर 599/157 व खेत खसरा नम्बर 4912159 में से रास्ता दिया जाना उचित है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपनी जोत में आवगामन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की दशा में ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत आदेश जैर अपील पारित करते हुए खेत खसरा नम्बर 599/157 में से लम्बाई 225 मीटर वा चौड़ाई 4 मीटर इस प्रकार 900 गैर मुमकिन रास्ता धारा 251 ए के प्रावधानों के अनुसार स्वीकृत किया जाना साबित है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। प्रकरण में जहॉ तक विद्वान अभिभाषक अपीलांट् का यह कथन कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपनी जोत में आवागमन हेतु पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध है, इस संबंध में न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है, जिससे यह जाहिर होता हो कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपनी जोत में आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध हो। ऐसी स्थिति में केवल मात्र मौखिक कथन के आधार पर रेस्पोडेन्ट किसी प्रकार की कोई राहत प्राप्त करने के अधिकार नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, नोखा का आदेश दिनांक 01–04–2021 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 04-12-2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर